अध्याय V : विदेश मंत्रालय

5.1 सरकारी लेखे से बाहर बैंक खाते का अनुरक्षण

भारतीय दूतावास ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना ने बैंक खाता का परिचालन किया और सरकारी लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि किये बगैर अर्जेंटीना पेसो 41,17,118 (₹5.10 करोड़) का लेनेदेन किया।

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.), 2005 के नियम 7 के अनुसार सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त सारे धन को सरकारी लेखे के अंतर्गत बगैर किसी अतिरिक्त विलंब के लाना होता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) के नियमावली 1983 के नियम 13 के अनुसार, धन संबंधी सभी लेन-देनों को लेन देन एवं कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जाँच के चिन्ह के रूप में उसके सत्यापन के साथ ही रोकड़ बही में प्रविष्ट किया जाना चाहिए। सरकारी खाते से किसी प्रकार के धन का आहरण, प्रासंगिक दावे के समर्थन में बिल की प्रस्तुति द्वारा आहरण के अलावा नहीं किया जा सकता है (नियम 28)।

भारतीय दूतावास, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2013) में पाया गया कि अपने तीन नियमित खातों (भा.स्टे.बै., न्यूयॉर्क एवं हॉ.शं.बै.नि. ब्यूनस आयर्स के साथ अमरीकी डॉलर के खाता, एवं हॉ.शं.बै.नि. ब्यूनस आर्यस के साथ अर्जेंटीना पेसो खाता) के अलावा मिशन अक्तूबर 2008 से मई 2012 तक हॉ.शं.बै.नि. ब्यूनस आयर्स में एक अन्य पेसो खाता बैंक खाता भी परिचालित कर रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यह बैंक खाता 31 अक्तूबर 2008 को पेसो 66,880.62 (₹9.99 लाख) के शुरूआती जमा के साथ खोला गया था तथा 23 मई 2012 को तीन वर्ष सात माह के बाद पेसो 70.21 की राशि निकालकर इसे बंद कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे इसके बैंक विवरणी से देखा कि इस खाते में पेसो 41,17,118 (₹5.10 करोड़)[1] की कुल राशि जमा की गयी थी और इसे 799 आहरणों द्वारा निकाला गया था। पेसो 11,11,750 (₹1.42 करोड़) की कुल राशि के 63 नकद आहरण हुए थे जिसमें 17 आहरण पेसो 20,000 (₹2.48 लाख) से अधिक की राशि के थे। आगे, इस बैंक ऋणात्मक अंत शेष के 171 मामले थे जो पेसो (-) 46.94 से पेसो (-) 24,026.45 तक के थे। इन आहरणों के प्रयोजन एवं उपयोग के ब्यौरे अभिलेख में दर्ज नहीं थे।

इस बैंक खाते को खोलने के प्रयोजन को दर्शानेवाला कोई अभिलेखित प्रमाण नहीं था। इस बैंक खाते में की गयी जमाओं एवं आहरणों को मिशन के रोकड़ बही के माध्यम से नहीं किया गया था। मिशन बैंक खाते के माध्यम से किये गये लेन-देनों से मेल खाने वाले किसी बिल/वाउचर को लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया था। बैंक खाते में दर्शाये गये लेन-देनों का, मिशन द्वारा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत अक्तूबर 2008 एवं मई 2012 के मध्य की अवधि से संबंधित मासिक व्यय विवरणी में कोई अस्तित्व नहीं था। अत: उपर्युक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि हॉ.शं.बै.नि., ब्यूनस आयर्स वाले पेसो खाता संख्या में जमा की गयी और उससे निकाली गयी राशि, सरकारी लेखे के बाहर परिचालित की गयी थी।

भारतीय दूतावास, अर्जेंटीना ने जवाब में कहा (जुलाई 2013) कि मिशन में बैंक खाते के ब्यौरे से संबंधित कोई अभिलेख मौजूद नहीं था और इसमें संबंधित अधिकारियों का या तो स्थानांतरण हो गया था या वे सेवा-मुक्त हो गये थे। मिशन ने पुष्टि की कि जिस प्रयोजन से बैंक खाता खोला गया था, उसका उल्लेख किसी दस्तावेज में नहीं था और बैंक खाते से संबंधित लेन-देन को, मंत्रालय को भेजे गये मासिक लेखों में शामिल नहीं किया गया था।

---

[1] 53 चैकों (पेसो 39,60,208.23) के द्वारा, पॉच अवसरों पर रोकड़ द्वारा (पेसो 74,450,00), एक अवसर पर अंतर-बैंकिंग हस्तांतरण द्वारा (पेसो 80,580,00) एवं चार अवसरों पर वापसी/समायोजन (पेसो 1,880.17) द्वारा।

अत: बैंक खाते का अनुरक्षण और भारतीय दूतावास, अर्जेंटीना द्वारा सरकारी लेखे के बाहर लेन-देन करना मौजूदा नियमों का उल्लंघन है। चूंकि बैंक खाते में दर्ज लेन-देन रोकड़ बही के माध्यम से नहीं किये गये थे, लोक निधियों के दुर्विनियोजन एवं लोक लेखे की हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। मामले की विदेश मंत्रालय (वि.मं.) के संज्ञान में जाँच हेतु लाया गया था।

मंत्रालय ने जवाब दिया (मई 2014) कि वि.मं. से अधिकारियों के एक उच्च-स्तरीय दल ने जनवरी 2014 में ब्यूनस आयर्स का दौरा किया और उनकी रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई थी।

5.2 सामानों के प्रापण में नियमों का उल्लंघन

भारतीय महावाणिज्य दूतावास, अटलांटा ने ₹1.61 करोड़ मूल्य के कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयरों, कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले उपकरण एवं फर्नीचर/फिटिंगों का तीन अलग खरीदों में, नियमों का उल्लंघन करते हुए एवं उचित, पारदर्शी तथा तर्कसंगत प्रक्रिया के अनुपालन के बगैर प्रापण किया था।

सामान्य वित्तीय नियमावली (रा.वि.नि;) 2005, के नियम 137 के अनुसार, सार्वजनिक खरीद हेतु प्रस्तावों को एक उचित, पारदर्शी एवं तर्कसंगत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए आमंत्रित किया जाना चाहिए। अनुपालित प्रक्रिया आपूर्तिकर्ताओं के मध्य प्रतिस्पर्धा, एवं उचित तथा समान व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, मंत्रालयों/ विभागों द्वारा लोक सेवा (नियम 149) के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोग के समानों की खरीद के लिए बोलियां को प्राप्त करने के एक निर्धारित मानक विधि उपयोग में लायी जाएगी। सा.वि.नि. के नियम 150 के अंतर्गत, ₹25 लाख अथवा अधिक की अनुमानित मूल्य के समान के प्रापण हेतु विज्ञापित निविदा इंक्वायरी (वि.नि.इं.) के माध्यम से बोलियों की प्राप्ति करनी होती है। वही ₹25 लाख तक के अनुमानित मूल्य के सामानों के प्रापण हेतु, नियम

151 (i) निर्धारित करता है कि सीमित निविदा इंक्वायरी (सी.नि.इं.) का उपयोग सामानों के प्रापण हेतु विनिर्दिष्ट स्थितियों में किया जा सकता है जैसे कि: (i) वेब आधारित प्रचार सीमित निविदाओं के लिए ही किया जाना चाहिए; (ii) आपूर्तिकर्ताओं की संख्या तीन से अधिक होनी चाहिए, एवं (iii) प्रतिस्पर्धी आधार पर अधिक अच्छी बोलियों हेतु अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं की अधिक संख्या को चिन्हित करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, मुख्य सर्तकता आयुक्त (मु.स.आ.) के दिशानिर्देश (15 जनवरी 2002) निर्धारित करते हैं कि बोलियों का मूल्यांकन न्यायसंगत एवं निष्पक्ष रूप से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए, बोली के दस्तावेजों में निविदाओं की प्राप्ति एवं आमंत्रण के समय/तिथि का उल्लेख किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, नियम 151(ii) के अंतर्गत, सी.नि.इं. विधि का उपयोग वहॉ भी हो सकता है जहॉ प्रापण का अनुमानित मूल्य ₹25 लाख से अधिक है। ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी को यह प्रमाणित करना होता है कि मांग तात्कालिक है एवं विज्ञापित निविदा इंक्वारी के द्वारा प्रापण के अलावा किए गये किसी भी अतिरिक्त व्यय को आवश्यक दृष्टिकोण से उचित ठहराना होता है। सक्षम प्राधिकारी को तत्काल आवश्यकता की प्रकृति एवं कारण जिनसे अधिप्राप्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सका, इसका उल्लेख भी करना चाहिए।

भारतीय महावाणिज्य दूतावास (भा.म.दू.), अटलांटा के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2013) से उद्घटित हुआ कि अगस्त 2012 एवं सितंबर 2012 के दौरान अक्तूबर 2012 में शुरू किए जाने वाले इसके नए कार्यालय भवन में उपयोग हेतु तीन अलग खरीद आदेशों में पोस्ट ने ₹1.61 करोड़ की कुल राशि का प्रापण किया। सामानों का प्रापण, मंत्रालय द्वारा 6 जुलाई 2012 को दिये गये निधियों के संस्वीकृति आदेश के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भा.म.दू. अटलांटा ने सीमित निविदा इंक्वायरी आधार पर चार संस्थाओं[2] से सू.प्रौ. अवसंरचना (कम्प्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, इंटरनेट, एक्सेस नियंत्रण प्रणाली, सी.सी.टी.वी.) के प्रापण हेतु, विज्ञापित निविदा इंक्वारी निकाले बगैर-उद्धरण प्राप्त किये जबकि प्रापण का अनुमानित मूल्य ₹25 लाख से अधिक था। पोस्ट ने सू.प्रौ. अवसंरचना के आपूर्ति आदेश मैसर्स कंप्यूनेट सर्विसिस इंक को ₹48.55 लाख (यू.एस. $87,940) की कीमत पर दे दिया (अगस्त 2012)।

दूसरे, फर्नीचर एवं साज-सज्जा, जिनपर ₹25 लाख से अधिक लागत आने का अनुमान था, की आपूर्ति हेतु पोस्ट ने सी.नि.इं. विधि का सहारा लिया और केवल तीन संस्थाओं[3] से उद्धरण प्राप्त किये जबकि ऐसी खरीदों के लिए आपूर्तिकर्ता संस्थाओं की संख्या नियमानुसार तीन संस्थाओं से अधिक होनी चाहिए थी। मैसर्स अटलांटा ऑफिस फर्नीचर (अगस्त 2012) को ₹79.15 लाख (यू.एस. $1,43,357) की कीमत पर कार्य सौंप दिया गया था।

तीसरे, कार्यालय उपकरण (कॉपीयर, श्रेडरों, धातु डिटेक्टर, जल शीतलकों, ओवेन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यू.पी.एस.) के प्रापण हेतु भा.म.दू., अटलांटा ने (सितम्बर 2012) में उर्पयुक्त चार संस्थाओं से सीमित निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया जिन्होंने इस सू.प्रौ. अवसंचना के लिए प्रारम्भिक कार्य हेतु बोली लगायी थी। भा.म.दू., अटलांटा का अनुमान था कि कार्य को ₹25 लाख के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। परंतु मेसर्स कंप्यूनेट सेवाएं इंक को किया गया कुल भुगतान ₹33.59 लाख (यू.एस. $60,075) था, क्योंकि कार्य सौपने के बाद उसमें बढ़ोतरी की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि नियम में निर्धारित किसी मानक प्रक्रिया का पोस्ट द्वारा बोलियां प्राप्त करने और उसके मूल्यांकन हेतु अनुपालन नहीं

---

[2] मैसर्स आउटसोर्स मैनेजमेंट इंक, मैसर्स सी.टी.सी.एस.एस. सिस्टम्स, एल.एल.सी., मैसर्स कम्प्यूनेट सर्विसिस इंक, मैसर्स इग्नाइट

[3] मैसर्स ऑफिस इंटीरियर्स, मैसर्स शेफिल्ड ऑफिस प्रोडक्ट्स, मैसर्स ऑफिस फर्नीचर।

किया गया था। इस बात का प्रलिखित प्रमाण नहीं था कि निविदाओं को अंतिम तिथि के साथ सीधे आपूर्तिकर्ताओं को भेजा गया था। उद्धरण विभिन्न तिथियों[4] को, प्रत्येक संस्था द्वारा उद्धरित मूल्यों की शुद्धता को कम करते हुए प्राप्त किये गये और खोले गये। वास्तव में, मैसर्स कंप्यूनेट इंक एवं मैसर्स अटलांटा ऑफिस फर्नीचर का निम्नतम प्रस्ताव होने के कारण चयन किया गया था, परंतु जब उनकी बोलियां प्राप्त हुई तो अन्य संस्थाओं के उद्धरणों को पोस्ट द्वारा पहले ही खोल लिया गया था। आगे, लेखापरीक्षा ने देखा कि सुपुर्दगी अथवा खरीद आदेशों की पूर्णता की तिथि, उद्धरण में उल्लिखित तिथि से पूर्व की थी। फर्नीचर एवं फिटिंगों के लिए खरीद आदेशों को 24 अगस्त 2012 को पूर्ण किया गया था, परंतु इस प्रयोजन से प्राप्त उद्धरणों पर 30 अगस्त 2012 एवं 12 सितम्बर 2012 के मध्य की तिथि अंकित थी। कार्यालय उपकरण की आपूर्ति हेतु कार्य 26 सितम्बर 2012 केा पूरा किया गया था, जबकि तीन संस्थाओं से प्राप्त उद्धरणों पर 28 सितम्बर 2012 एवं 1 अक्तूबर 2012 के मध्य तिथि दर्शायी गयी थी। यह संकेत करता है कि बोलियों को उसके बाद प्राप्त किया गया था जब पोस्ट द्वारा कार्य की सुपुर्दगी हेतु निर्णय लिया जा चुका था।

उपरोक्त से यह सिद्ध होता है कि मंत्रालय से जुलाई2012 में निधियों की संस्वीकृति की प्राप्ति के बाद यद्यपि दो माह का पर्याप्त समय सामानों का प्रापण विज्ञापित निविदा इंक्वायरी के माध्यम से पूरा करने के लिए था, पोस्ट ने उपर्युक्त प्रत्येक खरीद के लिए सीमित निविदा इंक्वारी का रास्ता अपनाया। सीमित निविदा, इंक्वायरी के अंतर्गत बोलियां प्राप्त करते समय भा.म.दू. अटलांटा ने अधिक अच्छी बोलियां प्राप्त करने के लिए योग्य आपूर्तिकर्ताओं की बड़ी संख्या की पहचान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और न ही

---

[4] सू.प्रौ. अवसंरचना मैसर्स आउटसोर्स मैनेजमेंट इंक (14 अगस्त 2012); मैसर्स सी.टी.एस.एस. सिस्टम एल.एल.सी. (14 अगस्त 2012); मैसर्स कम्पयूनेट सर्विसिस इंक (15 अगस्त 2012); मैसर्स इग्नाइट (16 अगस्त 2012) कार्यालय फर्नीचर एवं फिटिंग्स (30 अगस्त 2012); मैसर्स शेफिल्ड ऑफिस प्रोडक्ट्स (4 सितम्बर 2012); मैसर्स अटलांटा ऑफिस।

सीमित निविदाओं के लिए बाजार में मौजूद उपलब्ध योग्य संस्थाओं के साथ निष्पक्ष एवं न्योचित व्यवहार हेतु मौजूदा नियमों के अनुसार वेब आधारित प्रचार ही किया था।

पोस्ट ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2013) कि खुली निविदा प्रक्रिया का पालन सू.प्रौ. अवसंरचना, एवं फर्नीचर/फिटिंग के प्रापण हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व एवं समय की कमी की वजह से नहीं किया गया था। संस्थाओं के सुरक्षा साख का निर्धारण भारत-अमरीकी की समुदाय एवं स्थानीय सरकार के महत्वपूर्ण सदस्यों के अनुभव से किया गया था।

पोस्ट का उत्तर संतोषजनक नहीं था। क्योंकि उनके पास जुलाई 2012 में मंत्रालय द्वारा वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करने के बाद से विज्ञापित निविदा इंक्वायरी प्रसारित करने के लिए काफी समय था। संस्थाओं द्वारा बोलियों की प्रस्तुती हेतु नियम में दिए गये तीन माह का समय अक्तूबर 2012 में कार्यालय भवन के उद्घाटन की दृष्टि से प्रापण को पूरा करने के लिए काफी था। पोस्ट एवं स्थानीय सरकार अथवा भारतीय समुदाय के महत्वपूर्ण् सदस्यों के मध्य भा.म.दू., अटलांटा द्वारा कथित 'राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व,' से संबंधित किसी प्रकार के पत्राचार का कोई प्रलेखित प्रमाण नहीं था। इसके अतिरिक्त, सी.नि.इं. अपनाने को सही करार देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व का कारण प्रथम बार केवल 22 अगस्त 2012 केा सू.प्रौ. अवसंरचना तथा 24 अगस्त 2012 को कार्यालय फर्नीचर एवं फिटिंगों से संबंधित कार्य/खरीद को अंतिम रूप देने के समय, ही दर्ज हुआ था। भा.म.दू., अटलांटा ने बोली प्राप्त करने के पूर्व अथवा निधियों की संस्वीकृति की प्राप्ति के समय मंत्रालय के समक्ष सुरक्षा सरोकारों के विषय को उठाया, इसका कोई प्रमाण नहीं था। अत: पोस्ट द्वारा बताए गये कारण बाद में गढ़े गये लगते है और सी.नि.इं. को अपनाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं थे।

लेखापरीक्षा के उपर्युक्त के उत्तर में, भा.म.दू., अटलांटा ने स्वीकार किया (मार्च 2014) कि बोलियों के आमंत्रण में प्रक्रियागत चूकें थीं जो बोलियों को

प्रस्तुत करने में संस्थाओं द्वारा की गयी गलतियों को असावधानी वश नजर अंदाज करने के कारण हुई थीं।

मामले को मंत्रालय के पास नवम्बर 2013 में भेज दिया गया था, उनका उत्तर मई 2014 तक प्रतीक्षित था। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि मिशन एवं पोस्टों में वित्तीय जिम्मेदारियों वाले अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण एवं नियमों प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाए।

5.3 मासिक लेखे में फर्जी भुगतान वाउचर/प्राप्ति चालान

भारतीय महावाणिज्य दूतावास, ह्यूस्टन, यू.एस.ए. ने यू.एस. $3,72,632 के भुगतान वाउचरों तथा यू.एस. $3,62,172 के प्राप्ति चालान फर्जी बनाए तथा इनका हिसाब मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए अपने मासिक लेखे में दिया। रोकड़ बही में प्रविष्टि किए बिना यू.एस $69,356 का आहरण और यू.एस $39,266 जमा हुए थे। वाणिज्य दूतावास के लेखे में गंभीर गलतियाँ थीं जिनके कारण प्राप्तियों के कम लेखांकन तथा बेहिसाब आहरणों से इंकार नहीं किया जा सकता था।

केन्द्र सरकार लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली 1983 के नियम 13 के अनुसार, किसी मौद्रिक लेनदेन के होते ही, उसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में की जानी चाहिए। सरकारी खाते में क्रेडिट के लिए अधिकृत बैंक को प्राप्तियों के प्रेषण से संबंधित रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियों केा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जमा या चालानों पर दर्ज बैंक प्राप्ति के संदर्भ में सत्यापित करने के पश्चात् अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नियम 28, केन्द्र सरकार लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली 1983 के अनुसार, दावे के समर्थन में बिल के प्रस्तुतीकरण के अलावा किसी भी प्रकार से धन का आहरण सरकारी खाते से नहीं किया जाना चाहिए।

मार्च 2013 में मार्च 2012 से फरवरी 2013 की अवधि हेतु भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास (भा.म.वा.दू.), ह्युस्टन, यू.एस.ए. के अभिलेखों की नमूना जांच को संचालित किया गया था। लेखापरीक्षा ने एकीकृत मिशन

लेखांकन प्रणाली (ए.मि.ले.प्र.) में अनुरक्षित लेखांकन डाटा का विश्लेषण किया और इसका विदेश मंत्रालय (वि.मं.) के वाणिज्यिक दूतावास द्वारा प्रस्तुत मासिक रोकड़ लेखे से मिलान किया। लेखापरीक्षा के अवधि के रिकॉर्ड की संवीक्षा करने पर, यह नोट किया गया कि भा.म.वा.दू., ह्यूस्टन ने नवम्बर 2011 से जून 2012 की अवधि में यू.एस. $3,72,632 के (नौ) भुगतान वाउचरों और अवधि के दौरान यू.एस. $3,62,172 के (चार) प्राप्ति चालान अवास्तविक बनाए तथा मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए मासिक लेखे में इनका लेखांकन किया। फर्जी बनाए गए भुगतान वाउचरों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	भुगतान वाउचर एवं माह	राशि (यू.एस.$)	वाउचरों में बताए गए विवरण
1.	940पी नवम्बर 2011	29,583.02	सितम्बर, अक्तूबर एवं नवम्बर 2011 हेतु बैंक प्रभार
2.	1479पी मार्च 2012	7,182	वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु बैंक प्रभार
3.	1486पी मार्च 2012	(-0.64)	बैंक प्रभार
4.	1487पी मार्च2012	76,503.65	वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक प्रभार तथा अन्य
5.	1488पी मार्च 2012	6,118.15	भुगतान किए गए वेतनों की राशि का मिलान
6.	1489पी मार्च 2012	84,798.03	भुगतान की गई मिलान राशि
7.	317पी जून 2012	6,012	अप्रैल 2012 को फ्रोस्ट बैंक द्वारा डेबिट किए गए बैंक प्रभार
8.	248पी मई 2012	790.10	अप्रैल 2012 के माह हेतु बैंक प्रभार
9.	417पी जून 2012	1,61,646.10	विविध आकस्मिताएं
कुल		**3,72,632.41**	

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि रोकड़ बही के समक्ष अपने बैंक खाते में दर्शाए गए रोकड़ शेष की कमी को ढकने के लिए वाणिज्यिक दूतावास द्वारा मासिक लेखे में यू.एस. $89,698 तक की राशि के क्र.सं. 2,4 एवं 7 के वाउचर बनावटी रूप से सृजित किए थे। बैंक खाते में रोकड़ की कमी दर्शाता है कि बैंक खाते में से किए गए सभी आहरण रोकड़ बही में प्रविष्टि किए बिना हुए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई से सितम्बर 2011 के बीच यू.एस; $24,841 तथा यू.एस. $44,515 के ऐसे ही दो आहरण हुए थे जिनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई थी।

उत्तर में, भा.म.वा.दू., ह्युस्टन ने माना कि बैंक विवरणी के साथ रोकड़ बही के रोकड़ शेषों से मेल खाने के लिए बनावटी वाउचरों का सृजन नियमानुसार नहीं था।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त क्र.सं. 1,5,6,8 तथा 9 में उल्लेखित पाँच लेनदेनों के संबंध में, यू.एस. $2,82,935 की राशि के भुगतान वाउचर मासिक लेखे में सृजित एवं शामिल किए गए थे। हालांकि, इन भुगतान वाउचरों का समर्थन किसी भी आहरित बिलों के दस्तावेजी सबूतों द्वारा नहीं किया गया था जो दर्शाए कि संबंधित दावों के समर्थन में इनका भुगतान किया गया था। भुगतान वाउचरों का सृजन करना तथा सहायक बिलों के बिलों के बिना मासिक लेखे में इनका लेखांकन व्यय के रूप किया जाना वर्तमान नियमों का उल्लंघन था। उपलब्ध बैंक विवरणियों से, लेखापरीक्षा में यह सत्यापित करना संभव नहीं था कि ये राशियां वास्तविक रूप से बाद में वाणिज्यिक दूतावास के बैंक खाते से आहरित हुई थी। इसके अतिरिक्त, बैंक खातों में तथा मासिक लेखे में भारी विसंगतियों के कारण वाणिज्यिक दूतावास द्वारा कोई अर्थपूर्ण बैंक मिलान नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों के अंतर्गत, बिलों के प्रस्तुतीकरण के बिना जाली वाउचरों के माध्यम से बैंक खातों से धन के आहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार, मई तथा जून 2012 की अवधि के दौरान वाणिज्यिक दूतावास द्वारा यू.एस. $3,62,172 की राशि के चार जाली प्राप्ति चालान दिए गए थे। विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	प्राप्ति चालान एवं माह	राशि (यू.एस.$)	विवरण
1.	334आर.मई 2012	76,503.65	शीर्ष 'कार्यालय व्यय' के अंतर्गत नकारात्मक आंकड़ो के रूप में दर्शाया गया था।
2.	335आर मई 2012	84,798.03	'विदेश यात्रा व्यय' के अंतर्गत नकारात्मक ऑंकडों के रूप में दर्शाया गया था।
3.	540 आर जून 2012	665.00	शीर्ष 'अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत
4.	541 आर जून 2012	2,00,205.17	शीर्ष 'अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत
	कुल	**3,62,171.85**	

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 'कार्यालय व्यय' के अंतर्गत व्यय को कम करने के लिए यू.एस. $76,504 (क्र.सं.1) की राशि हेतु प्राप्ति चालानों को मासिक लेखे में नकली रूप से सृजित एवं दर्शाया गया था। यू.एस. $84,798 (क्र.सं;2) का एक और प्राप्ति चालान भी दिया गया था तथा 'विदेश यात्रा व्यय' के अंतर्गत व्यय कम करने के लिए मासिक लेखे में दर्शाया गया था। उपरोक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत व्यय में कमी बिना मान्य प्राधिकरण के की गई थी तथा इन समायोजनों का औचित्य साबित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं थे। मासिक लेखे में 'अन्य प्राप्तियाँ' में यू.एस. $665 (क्र.सं.3) तथा यू.एस. $2,00,205 (क्र.सं.4) के लिए अन्य दो प्राप्ति चालान सृजित एवं दर्शाए गए। मई 2012 में मंत्रालय को प्रस्तुत अप्रैल 2012 की रोकड़ बही के रोकड़ शेष के प्रति यू.एस. $2,,00,205 से अधिक थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि रोकड़ बही तथा मासिक लेखे में प्राप्ति चालानों की प्रविष्टियों को बैंक विवरणियों में नहीं दर्शाया गया था। इस प्रकार, बैंक खाते में संगत क्रेडिट के बिना प्राप्ति चालानों के सृजन द्वारा रोकड़ बही तथा मासिक लेखे में प्रेषण की प्रविष्टि करना नियमों के अनुरूप नहीं है। नमूना परीक्षित प्राप्ति चालानों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल से सितम्बर 2011 के दौरान वाणिज्यिक दूतावास के बैंक खाते में जमा की गई यू.एस. $39,266 की राशि की प्रविष्टि रोकड़ बहीं में नहीं की गई थी। प्राप्ति चालानें के ऐसे

अनियमित सृजन को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक दूतावास के बैंक खाते में किसी वास्तविक प्रेषण को जमा न कराए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर में, भा.म.वा.दू., ह्यूस्टन ने बताया कि प्राप्ति चालानों का सृजन अन्य जाली वाउचरों/चालानों को अमान्य ठहराने के लिए किया गया था। ऐसी प्रविष्टियां करने वाले लेखांकन स्टाफ द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण ए.मि.ले.प्र.के परिचालन की उचित जानकारी तथा प्रशिक्षण की कमी को दर्शाता है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भा.म.वा.दू., ह्यूस्टन द्वारा वि.मं. को प्रस्तुत मासिक लेखे में गम्भीर त्रुटियाँ हैं। मासिक लेखे में व्यय तथा प्राप्तियों में क्रमश: नकली रूप से सृजित यू.एस. **$**3,72,632 (₹1.85 करोड़)[5] के भुगतान वाउचर तथा यू.एस. **$**3,62,172 (₹1.79 करोड़)[5] के प्राप्ति चालान शामिल थे। बैंक खाते में यू.एस. **$**69,266 की निकासी एवं यू.एस. $39,266 के जमा की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं कि गई थी। परिणामत:, नकद प्राप्तियों के कम लेखांकन तथा बैंक से धन के बेहिसाबी आहरणों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। वाणिज्यिक दूतावास के सही मासिक लेखे को पुन: बनाने के लिए उचित प्राधिकारियों द्वारा मामले की तत्काल जाँच की जानी चाहिए। मंत्रालय को ए.मि.ले.प्र. के परिचालन के लिए सारे लेखा स्टाफ को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता तथा फर्जी प्रविष्टियों को ढूंढ़ निकालने के लिए समस्या समाधान तंत्र स्थापित करना भी आवश्यक है। प्रणाली में चेतावनी देने के लिए आवश्यक नियंत्रण होना चाहिए।

मामला मंत्रालय को दिसंबर 2013 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

---

[5] मार्च 2012 के (1 यू.एस. $ = ₹49.60) विनिमय दर पर परिकलित।

5.4 परियोजना प्रबंधन दलों को विदेश भत्ते का अतिरिक्त भुगतान

मॉस्को एवं पेरिस में मिशनों ने मॉस्को एवं पेरिस में परियोजना प्रबंधन दलों में तैनात भारतीय वायु सेना के छ: अधिकारियों को विदेश प्रतिपूर्ति भत्ता देने की बजाय विवेकाधीन विदेश भत्ते का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2009 से अगस्त 2013 के दौरान अधिकारियों को ₹74.69 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

भा.वि.से. (वे.अ.प्र.भ.) नियमावली[6] के प्रावधानों के अनुसार, भारत से बाहर कार्यरत भारतीय विदेश सेवाओं के सदस्य को विदेश भत्ता (वि.भ.) प्रदान किया जा सकता है जिसमें भारत में स्थित और/अथवा स्थानीय घरेलू नौकरों के लिए वेतन शामिल है। यदि वे भारत में स्थित घरेलू सहायकों को नियुक्त करते है तो उन्हें विवेकाधीन वि.भ. का भुगतान किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय (वि.मं.) ने निर्देश दिया (फरवरी 2009 और दिसम्बर 2010) कि जिन अधिकारियों के पास गैर-प्रतिनिधित्ववादी प्रवृत्ति के कार्य है उन्हें विदेश (प्रतिपूर्ति) भत्ते (वि.प्र.भ.) का भुगतान किया जाएगा और वि.प्र.भ. का आहरण करने के लिए,केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को विदेशी मिशनों में तैनात सेवाओं के अधिकारियों के समान पद निर्धारित किया गया था। यह भी विर्निदिष्ट किया था कि भारत सरकार के किसी भी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति या कार्य करने वाले सेना अधिकारियों की पद तुल्यता का निर्णय वर्तमान प्रणाली के अनुसार उनके सेना पद के आधार पर होगा। पुन: परिशिष्ट (सितम्बर 2013) के माध्यम से मंत्रालय ने दोहराया कि वि.प्र.भ. का आहरण करने के पात्र केन्द्र/राज्य सरकार, अधिकारियों को कोई राजनयिक पद प्रदान नहीं किया गया था। दिसम्बर 2010 के वि.मं. के आदेश में उल्लिखित पद तुल्यता केवल काल्पनिक थी और जिसे वि.प्र.भ. के हिस्से का निर्धारण करने के लिए वि.मं. द्वारा आंतरिक रूप से केवल संदर्भ उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था।

---

[6] नियम 7 और 8, अध्याय III भारतीय विदेश सेवा (वेतन, अवकाश, प्रतिपूर्ति भत्ता तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली

वायु सेना के वायु सेना मुख्यालय (वायु सेना मुख्यालय) ने जून 2008 में मॉस्को में मिग-29 में दो अधिकारियों की तैनाती के लिए 'उन्नत परियोजना प्रबंधन दल' (प.प्र.द.) के लिए अनुमोदनों को संस्वीकृति दी (अक्तूबर 2009 और अप्रैल 2011)। रक्षा मंत्रालय, वायु सेना मुख्यालय (र.मं.) ने चार अधिकारियों केा निहित करते हुए पेरिस में मिराज-2000 पी.एम.टी. के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किए (अगस्त 2011)। संस्वीकृतियों के साथ-साथ कहा गया कि मिशनों में उसी पद एवं ग्रेड पर तैनात रक्षा सेवाओं के कर्मियो पर लागू होने वाला वि.भ. के जितने वि.भ. के लिए अधिकारी भी हकदार है। हालांकि अनुमोदनों में विदेश सेवा बोर्ड[7] (वि.से.बो.) अधिकारियों को राजनायिक दर्जा दिए जाने के संबंध के बारे में किसी आदेश के बारे में कुछ नहीं कहा गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त-सितम्बर 2013) से पता चला कि:

- पेरिस में मिशन ने वि.मं. आदेशों द्वारा विर्निदिष्ट पात्र वि.प्र.भ. का भुगतान करने की बजाय, काउंसलर पद पर स्वीकार्य दरों पर लीडर को तथा प्रथम सचिव स्तर अधिकार पर स्वीकार्य दरों पर अन्य तीन अधिकारियों को विवेकाधीन वि.भ. का भुगतान किया था;
- मास्को में मिशन ने, मंत्रालय के दिशानिर्देशों के उल्लंघन से प्रथम सचिव पद अधिकारी को स्वीकार्य दरों पर विवेकाधीन वि.भ. का भुगतान किया।

परिणामत:, प.प्र.द. मॉस्को के दो अधिकारियों ने नवम्बर 2009 से अगस्त 2013 के दौरान ₹29.69 लाख[8] का अधिक वि.भ. प्राप्त किया और सितम्बर

---

[7] भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) नियमावली, 1961 के अंतर्गत गठित है, जोकि वेदेश में भारतीय मिशन एवं पदों पर तैनात अधिकारियों को राजनयिक स्तर प्रदान करने के लिए अधीकृत है, चाहे वह विदेश सेवा के सदस्य हो या नहीं।

[8] विनिमय दर पर लागू वेतन दर पर अमेरिकी डॉलर 60654.09

2011 से अगस्त 2013 के दौरान प.प्र.द. पेरिस के चार अधिकारियों ने ₹45 लाख[9] का अधिक वि.प्र.भ. प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर (जनवरी 2014) में, मॉस्को में मिशन ने मिशन के वायु सेना स्कंध का उत्तर प्रेषित किया जिसमें बताया गया था कि भारत सरकार द्वारा जारी आदेश (जून 2008, अक्तूबर 2009 और अप्रैल 2011) स्पष्ट रूप से मिशन में तैनात उसी पद एवं ग्रेड के रक्षा सेवा कर्मियों पर लागू वि.भ. प्रदान करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प.प्र.द. मॉस्को के दो अधिकारियों को वि.से.बो. द्वारा राजनायिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया था तथा सितम्बर 2013 के वि.मं. के परिशिष्ट के अनुसार, पद तुल्यता स्वत: राजनयिक स्तर प्रदान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2009 और दिसम्बर 2010 के वि.मं. के आदेशों के अनुसार,ऐसे अधिकारी केवल वि.प्र.भ. के लिए पात्र होते थे। पेरिस के मिशन ने सूचित किया कि प.प्र.द. पेरिस की तैनाती हेतु वि.से.बो. से मिनट/आदेश की प्रति अग्रेषित करने के लिए र.मं. से निवेदन किया गया था (जनवरी 2014) और उत्तर मार्च 2014 तक प्रतीक्षित था।

इस प्रकार मॉस्को और पेरिस के मिशनों ने मॉस्को और पेरिस में भारतीय वायु सेना के प.प्र.द. में तैनाती छ: अधिकारियों को वि.प्र.भ. के भुगतान हेतु फरवरी 2009 एवं दिसम्बर 2010 के वि.मं. के आदेशों का पालन नहीं किया था। इन अधिकारियों को वि.प्र.भ. की बजाय विवेकाधीन वि.भ. के अनियमित भुगतान के परिणामस्वरूप अगस्त 2013 तक ₹74.69 लाख के भत्तों का अतिरिक्त भुगतान हुआ और अधिक भुगतान अभी भी जारी था (मार्च 2014)

मामला जनवरी 2014 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

---

[9] विनिमय पर लागू वेतन दर पर अमेरिकी डॉलर 90450.74

5.5 पारपत्र विविध सेवाएं हेतु शुल्कों का कम संग्रहण

पारपत्र विविध सेवाएं का संशोधन नहीं होने के कारण ₹1.52 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

विदेश मंत्रालय (वि.मं.) ने अपने 28 सितम्बर 2012 के राजपत्र अधिसूचना में पारपत्र एवं अन्य संबंधित सेवाओं जैसे पारपत्रों के निर्गम, पुनर्निगम या प्रतिस्थापन, आपातकालीन या पहचान प्रमाणपत्रों अथवा पुलिस अनुमति प्रमाण-पत्रों आदि के निर्गम हेतु शुल्कों का संशोधन किया था।

पारपत्र नियम- पुस्तिका 2010 के अध्याय 3(5)(1)(ख) के अनुसार नियम पुस्तिका 2010, "पारपत्र का पुनर्निगम पद में, सभी स्थितियों में जैसे वीज़ा पृष्ठों की समाप्ति, पारपत्र की क्षति/गुम होना, एसवीपी की समाप्ति, विवरणों में परिवर्तन, पति पत्नी का नाम जोड़ने आदि को शामिल किया गया था।" इसके अतिरिक्त, पारपत्र नियम-पुस्तिका 2010 और आई.सी.ए.ओ. विनियमों के अनुसार, ई.सी. के अलावा, हस्तलिखित यात्रा दस्तावेज जारी करने की अनुमति 01.04.2010[10] से नहीं है, और पारपत्र- धारकों के व्यक्तिगत विवरणों में किसी परिवर्तन के मामले में नयी पुस्तिका जारी करनी होगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भारतीय उच्चायुक्त, सिंगापुर (भा.उ.सिंगापुर) ने, अपनी आउटसोर्स की गयी एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा पारपत्रों में हाथ से परिवर्तन करना जारी रखा, तथा अक्तूबर 2012 से जुलाई 2013 तक 3,752 मामलों में नयी पुस्तिकाएं जारी करने के लिए एस.जी. **$**100[11] स्थान पर, केवल एस.जी. **$**20 ही संग्रहित किया। यह एस.जी. **$**3.0016 लाख (₹1.40 करोड़)[12] के राजस्व की हानि में परिणत हुआ।

---

[10] 01.04.2010 के पूर्व जारी हस्तलिखित पारपत्र 31.03.2014 तक वैध रहेंगे।

[11] एक व्यस्क् व्यक्ति के लिए 36 पृष्ठों का नया पारपत्र जारी करने के लिए USD75 की न्यूनतम दर मानकर, स्थानीय मुद्रा में पूर्णांक करके

[12] (100-20)*3,752*46.512= ₹ 1,39,61,042

इसी प्रकार, भारतीय दूतावास, टोक्यो (भा.दू. टोक्यो), भी मौजूदा पारपत्रों में व्यक्तिगत विवरणों में हाथ से परिवर्तन करता रहा तथा नयी पुस्तिकाएं जारी करने के लिए ¥10,500 का प्रभार लगाने के स्थान पर केवल ¥1,400 ही प्रभार लगाया। लेखापरीक्षा ने 227 मामलों में ¥20.657 लाख (₹12.61 लाख)[13] की राशि तक का कम संग्रहण देखा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पारपत्र नियम पुस्तिका 2010 के प्रावधानों के उल्लंघन में, भा.उ. सिंगापुर, तथा भा.उ. टोक्यो ने मौजूदा पारपत्रों में व्यक्तिगत विवरणों में बदलाव हेतु नयी पुस्तका जारी करने के स्थान पर हाथ से परिवर्तन करना जारी रखा। मौजूदा निर्देशों के उल्लंघन के अतिरिक्त, इसका परिणाम ₹1.52 करोड़[14] के कम संग्रहण और राजस्व हानि के रूप में हुआ।

भा.उ. सिंगापुर ने बताया (6 अगस्त 2013) कि 2002 के राजपत्र अधिसूचना में विविध सेवाएं के अंतर्गत श्रेणी में 'अतिरिक्त तसदीक़ अथवा अन्य विविध सेवा' की एक विशिष्ट प्रविष्टि शामिल थीं, और यह भी कि 2012 के राजपत्र अधिसूचना में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं थी, इसलिए भा.उ. सिंगापुर ने पारपत्र संबंधी सेवाओं के लिए शुल्कों को संशोधित नहीं किया था।

भा.उ. टोक्यो ने बताया कि उन्होंने वि.मं. के राजपत्र अधिसूचना 2012 के अनुसार पारपत्र शुल्कों के संशोधन को कार्यान्वित किया था। यह पता परिवर्तन तथा पति/पत्नी के नाम शामिल करने, तथा भारत में वापस आने पर अनापत्ति (भा.वा.अ.) से संबंधित सेवाओं हेतु शुल्कों के संशोधन का विशिष्टत: उल्लेख नहीं करता था। भा.उ. टोक्यों ने इसके अतिरिक्त बताया कि पारपत्र नियम पुस्तिका के विभिन्न अध्यायों में विरोधाभास थे, तथा उन्होंने वि.मं. से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है।

---

[13] (10500-1,400)x227x0.6105=₹ 12,61,110

[14] ₹ 139.61 लाख +12.61लाख =₹ 152.22 लाख

भा.उ. सिंगापुर तथा भा.उ. टोक्यो के उत्तर स्वीकार्य नहीं है, चूंकि पारपत्र नियम-पुस्तिका 2010 का अध्याय 3(5)(I)(ख), उन मामलों को स्पष्टत: चिन्हित करता है जहां नये पारपत्र जारी किये जाने चाहिए। 2012 की राजपत्र अधिसूचना ने केवल विभिन्न सेवाओं हेतु शुल्कों का ही संशोधन किया, और उन परिस्थियों, जहॉ नये पारपत्र जारी करने होंगे, से इसका संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त, वि.मं. (सी.पी.वी. प्रभाग) ने अपने 04 सितम्बर 2013 के पत्र द्वारा, इस मुद्दे पर भा.उ. सिंगापुर को यह सूचित करते हुए उत्तर दिया कि सभी ऐसे मामलों में जहाँ व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन करना हो, केवल नयी पारपत्र पुस्तिकाएं, ही जारी की जानी चाहिए थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा से सहमति जताते हुए बताया (फरवरी 2014) कि इसने सिंगापुर एवं टोक्यो के मिशनों को, उन्हें विविध सेवाओं के अंतर्गत पारपत्रों में हाथ से तसदीक करने को तुरंत बंद करने का निर्देश देते हुए पत्र जारी किया है।

5.6 सेवा प्रदाता को अनुचित वित्तीय लाभ

पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवाओं हेतु सेवा प्रभारों की अनियमित वृद्धि ऐसी सेवाओं पर अस्वीकार्य प्रशासनिक शुल्क प्रभारित करने का परिणाम सितम्बर 2010 से मार्च 2013 के दौरान सेवा प्रदाता को ₹67.36 लाख के अनुचित वित्तीय लाभ के रूप में हुआ।

मिशन ने पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवाओं की आउटसोर्सिंग हेतु 31 अगस्त 2010 को मेसर्स वी.एफ. सर्विसेज लिमिटेड (सेवा प्रदाता) के साथ एक करार किया। करार की सारणी I, शर्त 4.1 के अनुसार सेवा प्रदाता £6.90 प्रति पासपोर्ट अभ्यर्पण आवेदन के सेवा प्रभार के उदग्रहण का हकदार था।

विदेश मंत्रालय (मंत्रालय) ने उसी सेवा प्रदाता द्वारा मिशन को वीजा सेवाएं प्रदान करने हेतु उदग्रहित बीजा आउटसोसिंग सेवा प्रभारों को £6.90 से £7.70 तक बढ़ाया (अगस्त 2011)। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि कथित आदेश के आधार पर सेवा प्रदाता ने भी पासपोर्ट अभ्यर्पण हेतु

सेवा प्रभारों को 12 सितम्बर 2011 से £6.90 की विद्यमान दर से £7.70 प्रति आवेदन तक बढ़ाया।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2012) कि अगस्त 2011 में जारी सेवा प्रभारों की वृद्धि का आदेश केवल सेवा प्रदाता द्वारा मिशन को प्रदत्त वीजा सेवाओं हेतु लागू था तथा पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवाओं हेतु बढ़ी हुई दरों का उदग्रहण करना अनियमित था तथा इसका परिणाम सेवा प्रदाता को अनुचित वित्तीय लाभ के रूप में हुआ। यद्यपि सेवा प्रदाता तुरंत प्रभाव से £6.90 तक सेवा प्रभारों को कम करने को सहमत था (मार्च 2012) फिर भी बढ़ी हुई दर का उद्ग्रहण 30 सितम्बर 2012 तक जारी रहा। चूंकि सेवा प्रदाता 12 सितम्बर 2011 से 30 सितम्बर 2012 के दौरान 31264 आवेदन संसाधित किए थे इसलिए सेवा प्रदाता को प्राप्त अनुचित लाभ कुल ₹18.73 लाख[15] था।

आगे, यह भी पाया गया (अप्रैल 2013) कि करार के प्रावधानों के परे सेवा प्रदाता पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवाओं के आउटसोर्सिंग से £0.80 प्रति आवेदन के प्रशासनिक शुल्क का उद्ग्रहण कर रहा था। यद्यपि उसी सेवा प्रदाता द्वारा मिशन को प्रदत्त वीजा सेवाओं के संबंध में, मंत्रालय ने मिशन को सेवा प्रदाता द्वारा अनियमित प्रशासनिक शुल्क के अग्रहण को समाप्त करने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ करने का निर्देश दिया (अक्तूबर 2009) फिर भी मिशन ने सेवा प्रदाता को करार के प्रारम्भ से पासपोर्ट अभ्यपर्ण सेवाओं पर अनियमित प्रशासनिक शुल्क के उद्ग्रहण को अनुमत किया। सेवा प्रदाता ने 6 दिसम्बर 2010 से 31 मार्च 2010 से 31 मार्च 2013 के दौरान 85157 आवेदन संसाधित किये थे तथा ₹48.64 लाख[16] की राशि का अनुचित लाभ प्राप्त किया था। इसी प्रकार अनुचित लाभ जारी है तथा आगे और बढ़ेगा।

---

[15] 31264X£0.80 = £25,011 सितम्बर 2011 से सितम्बर 2012 के दौरान प्रचालित 1£=74.88 (सितम्बर 2011) की न्यूनतम विनिमय दर पर

[16] 85157X£0.80 = £68,126 सितम्बर 2011 से मार्च 2013 के दौरान प्रचालित 1£=₹71.39 (नवम्बर 2010) की नयनतम विनियम दर पर

पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवा के संबंध में 31 मार्च 2013 तक सेवा प्रदाता को प्राप्त कुल अनुचित लाभ ₹67.36 लाख था।

जब मिशन के साथ मामला उठाया गया था तो मिशन ने सेवा प्रदाता को पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवाओं पर बढ़े सेवा प्रभारों के कारण प्राप्त अनभिप्रेत लाभ को वापस करने तथा प्रशासनिक शुल्क के उद्ग्रहण को समाप्त करने, जैसा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया था, का निर्देश (अक्तूबर 2012) दिया। चूंकि बढ़े हुए सेवा प्रभार के कारण एकत्रित राशि सेवा प्रदाता द्वारा वापस नहीं की गई थीं तथा £0.80 के प्रशासनिक शुल्क का मनमाना संग्रहण जारी रहा। इसलिए मामला दोबारा मिशन को सूचित किया गया था (जुलाई 2013)। मिशन ने अपने पहले निर्णय को बदला तथा उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि मंत्रालय ने पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवा की आउटसोर्सिंग हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए विनिर्दिष्ट किया था कि वीजा आवेदनों हेतु स्वीकृत सेवा प्रभार पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवा पर भी लागू होंगे। तथापि, कथित पत्र मिशन के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था तथा मिशन ने मंत्रालय को इसे प्रदान करने का अनुरोध किया था। मिशन ने आगे बताया कि वीजा आवेदकों से इन प्रभारों के उद्ग्रहण की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति अभी भी विचाराधीन है तथा पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवाओं हेतु अलग अभ्युक्ति की कदाचित आवश्यकता नहीं थी। मिशन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवा को एक अलग करार के माध्यम से आउटसोर्स किया गया था।

चूंकि सेवा प्रदाता का चयन एक प्रतियोगितात्मक प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था इसलिए संविदा अवधि के दौरान सेवा प्रभार में कोई भी यादृच्छिक वृद्धि निविदा पश्चात् छूट के कारण थी तथा यह सी.वी.सी. दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। इस प्रकार, करार के नियम शर्तों को लागू करने में मिशन की ओर से विफलता का परिणाम सेवा प्रदाता को ₹67.36 लाख के अनुचित वित्तीय लाभ में हुआ जो अभी भी जारी है।

मामला अक्तूबर 2013 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।